



दौंड नगरपरिषद, दौंड जि.पुणे

दि.-०३/०६/२०२४

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० बंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७)

१ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या वर्षाकीरीता

कराचे बिल (पोचापावती)

वार्ड क्र: ४ मालमत्ता क्र: १६८८ भाग क्र: राजाराम भिकोबा टाकरकर
मालमत्ता धारक: श्री/श्रीमती/में: रेखा महाजन
भोगवटदाराचे नाव: भोगवटदाराचे नाव: :
दुकान / इमारतीचे नाव: -श्रीहरी अपार्टमेंट फेज II

जुना वार्ड क्र: ४ जुना मालमत्ता क्र: १६१५
मालमत्ते वर्णन: अपार्टमेंट
पत्ता: विठ्ठल मंदिराजवळ, दौंड
संगणक क्र.: W5Z2000086

बिल क्र.

DND4652

| राचे विवरा | संकलित कर रु | वृक्ष कर रु | अग्रिशमन कर रु | वि. स्वच्छता कर रु | शिक्षण उपकर रु | रो. ह. उपकर रु | उपयोगकर्ता शुल्क रु | शास्ती दि. ३१/०५/२०२४ पर्यंत | बनाधिकृत बांधकामावरिल कर रु | दुकानगाळा आडे रु | एकूण कर रु |
|-----------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| वर्षीत मागणी रु | ९५३७ | ३९७ | १८७ | १८७ | २१८८ | | ३६० | ११८२१ | | | २४६७७ |
| चालु मागणी रु | १०७१ | ४५ | २१ | २१ | २४८ | | ३७८ | | | | १७८४ |
| एकूण मागणी रु | १०६०८ | ४४२ | २०८ | २०८ | २४३६ | | ७३८ | ११८२१ | | | २६४६१ |

मालमत्ता धारकाची किंवा पावती वेणाऱ्याची सही

दौंड नगरपरिषद, दौंड जि.पुणे

दि.-०३/०६/२०२४

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० बंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७)

१ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या वर्षाकीरीता

कराचे बिल

वार्ड क्र: ४ मालमत्ता क्र: १६८८ भाग क्र: राजाराम भिकोबा टाकरकर
मालमत्ता धारक: श्री/श्रीमती/में: रेखा महाजन
भोगवटदाराचे नाव: भोगवटदाराचे नाव: :
दुकान / इमारतीचे नाव: -श्रीहरी अपार्टमेंट फेज II

जुना वार्ड क्र: ४ जुना मालमत्ता क्र: १६१५
मालमत्ते वर्णन: अपार्टमेंट
पत्ता: विठ्ठल मंदिराजवळ, दौंड
संगणक क्र.: W5Z2000086

बिल क्र.

DND4652

१) महाराष्ट्र नगर परिषदा नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ नुसार नगर परिषदेचा कर आर्थिक वर्षाच्या सुलवातीला अथवात १ एप्रिल रोजी देय होतो. २) महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५०(३) अन्वये बिल विळापासून १५ दिवांगांचे आव विळालील संगूणे रकमेचा भरणा केल्यास संकलित करात १ दिवा सबलत मिळेल. ३) महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील (राजपत्र दि. २७०४/२०१० अमाधारण भाग ४) मधिल सुधारीत कलम १५० अ (१) कमेचा पुरी भरणा करेपर्यंत प्रतिमाह २% शास्ती भरावी लागेल व चालु मागणीतील पाहिली अर्धवार्षिक रक्कम दि. ३०/०५/२०२४ पर्यंत भरणा करण्यात यावी. त्यानंतर रक्कम भरेपर्यंत २% गास्ती लागेल व चालु मागणीतील दुसरी अर्धवार्षिक रक्कम दि. ३१/१२/२०२४ पर्यंत भरणा करण्यात यावी अन्यथा त्यानंतर रक्कम भरेपर्यंत २% प्रतिमाह शास्ती भरावी लागेल. ४) रक्कम न भरल्यास कलम १५० अ (१) अन्वये एकूण थक्कीत रकमेच्या प्रतिमाह २% प्रमाणे शास्ती आकारायात येईल. व कर रक्कम देऊमाह भरणा करणे वेंडनकारक राहील. ५) विहीत मुदतीच्या कालवधीत कराचा भरणा केला नाही किंवा (अ) पुरी कराचा भरणा शास्ती ची रक्कम, आज, की व इतर वार्की रक्कम विहीत मुदतीत भरली नाही किंवा (ब) कलम १६९ तरुदीनुवार अथा विळाविळ अविळ केली नाही, तर असी रक्कम व तो वसुल करण्याचा सर्व खर्च कलम १५२ अन्वये मुख्याधिकारी यांच्या सही वॉरंट (अधिपत्र) मालमत्ते अंतकावाणी किंवा जर्सी करन व ती जाहिर लिलावाळ्यारे विकुण वसुलीस पात्र असेल ६) जस केलेल्या स्थावर मालमत्तेवात मालमत्ता आपली स्थावर मालमत्ता ताव्यात घेता येईल. ७) सदर देवक ३१/०५/२०२४ पर्यंत वे वसुली नोंदीस आधिन राहुन लागु करण्यात घेत आहेत. नसल्यास, भरलेली रक्कम सदर विळातुन समायेजित केली जाईल.

सन २०२४-२५ करीता मागणी

| कराचे विवरण | थकीत मागणी रु | चालु मागणी | | चालु वसुली (असल्यास) | सन २०२३-२४ ची एकूण देय मागणी रु |
|---|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | प्रथम अर्धवार्षिक मागणी रु | दुसरी अर्धवार्षिक मागणी रु | | |
| संकलित कर रु | ९५३७ | ५३६ | ५३५ | | १०६०८ |
| वृक्ष कर रु | ३९७ | २३ | २२ | | ४४२ |
| अग्रिशमन कर रु | १८७ | ११ | १० | | २०८ |
| वि. स्वच्छता कर रु | १८७ | ११ | १० | | २०८ |
| शिक्षण कर रु | २१८८ | १२४ | १२४ | | २४३६ |
| रो. ह. उपकर रु | | | | | |
| उपयोगकर्ता शुल्क | ३६० | १८९ | १८९ | | ७३८ |
| शास्ती दि. ३१/०५/२०२४ पर्यंत | ११८२१ | | | | ११८२१ |
| दुकान गाळा आडे रु | | | | | |
| अनधिकृत बांधकामावरिल दंडात्मक संकलित कर | | | | | |
| एकूण कर रु | २४६७७ | ८९४ | ८९० | | २६४६१ |

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १५० अ (१) अन्वये या तारखेनंतर शास्तीसहीत भरावयाची रक्कम.

| विवरण | जून-२४ | जुलै-२४ | ऑग-२४ | सप्टें-२४ | ऑक्टो-२४ | नोव्हे-२४ | डिसे-२४ | जाने-२५ | फेब्रु-२५ | मार्च-२५ |
|----------------------------|--------|---------|-------|-----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|----------|
| थकीत देय रक्कम रु | २४६७७ | २४९३४ | २५१११ | २५४४८ | २५७०५ | २५१६३ | २६२२० | २६४७७ | २६७३४ | २६१११ |
| पहिली अर्धवार्षिक मागणी रु | ८९४ | ८९४ | ८९४ | ८९४ | ९१२ | ९३० | ९४८ | १०५६ | १०९१ | ११२७ |
| दुसरी अर्धवार्षिक मागणी रु | ८९० | ८९० | ८९० | ८९० | ८९० | ८९० | ८९० | ८९० | ८९० | ८९० |
| एकूण देय रक्कम रु | २६४६१ | २६७१८ | २६१७५ | २७२३२ | २७५०७ | २७७८३ | २८०५८ | २८३३३ | २८६२५ | २८११८ |



स्वच्छ दौंड
संदर दौंड



कर विवर प्रसुत

मुख्याधिकारी

दौंड नगरपरिषद, दौंड जि.पुणे